

उत्तर प्रदेश शासन  
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1  
सं०-सं०वि०क०नि०-1-2062/11-2013-136/13  
लखनऊ:दिनांक: 01 जनवरी, 2014

:-: कार्यालय ज्ञाप :-:

वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04.05.10 एवं उसके साथ वित्त विभाग के सपठित शासनादेश सं०-वे०आ०-2-2118/दस-62(एम)/2008,दिनांक 22.12.2011, में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को असि० कमिश्नर के पद पर 26 वर्ष की नियमित संतोषजक सेवा पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में रू० 37400-67000 ग्रेड पे-8700 का वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

| क०सं० | अधिकारी का नाम                             | 26 वर्षीय तृतीय स्तरोंन्नयन की देय तिथि |
|-------|--|---|
| 1.    | श्री वीरेन्द्र सिंह (जन्म तिथि-01.08.1956) | 01.12.2008                              |
| 2.    | श्री मृत्युंजय कुमार सिंह                  | 01.12.2008                              |
| 3.    | श्री महाराज सिंह वर्मा                     | 01.12.2008                              |
| 4.    | श्री हरिकृष्ण                              | 01.12.2008                              |
| 5.    | श्री राधेश्याम त्रिपाठी                    | 01.12.2008                              |
| 6.    | श्रीमती पुष्पा खरे                         | 01.12.2008                              |
| 7.    | श्री रवीन्द्र शर्मा                        | 01.12.2008                              |
| 8.    | श्री शेख अब्दुल्ला                         | 01.12.2008                              |
| 9.    | श्री जगदीश कुमार चौधरी                     | 01.12.2008                              |
| 10.   | श्रीमती साधना त्रिपाठी                     | 01.12.2008                              |
| 11.   | श्री नरसिंह                                | 02.05.2009                              |
| 12.   | श्री सुरेन्द्र नाथ कपूर                    | 02.05.2009                              |
| 13.   | श्री श्रीचन्द्र द्विवेदी                   | 07.05.2009                              |
| 14.   | श्री कपिल नारायण मिश्रा                    | 04.05.2009                              |
| 15.   | श्री राम गोपाल गुप्ता                      | 18.06.2009                              |
| 16.   | श्री राम औतार सिंह                         | 11.11.2009                              |
| 17.   | श्री नरेश बाबू सैनी                        | 22.04.2009                              |
| 18.   | श्री वीरेन्द्र कुमार राय                   | 26.04.2009                              |
| 19.   | श्री सतीन्द्र कुमार                        | 11.05.2009                              |
| 20.   | श्री संतोष कुमार गंगे                      | 21.06.2009                              |
| 21.   | श्री मोहम्मद अतीक                          | 09.08.2009                              |

श्री विर  
श्रीमान

श्री  
8/01/14

ज्वाइंट कार्ड  
वाणिज्य कर मुद्रांक

|     |                         |            |
|-----|-------------------------|------------|
| 22. | श्रीमती पूनम गुप्ता     | 22.09.2009 |
| 23. | श्री अम्बेश श्रीवारस्तव | 18.06.2009 |

एस0एन0प्रसाद  
सचिव

पृष्ठांकन-सं0वि0क0नि0-1-2062 (1)/11-2013, तददिनांक:

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
  2. महालेखाकार, लेखा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
  3. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
  4. वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/2
  5. कर एवं निबन्धन अनुभाग-4
  6. इरला चेक अनुभाग,
  7. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
  8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( धीरेन्द्र कुमार वर्मा )  
अनु, सचिव।

पत्र संख्या-स्था-1-ए0सी0पी0 -26वर्षीय- 4421

/वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक :: 8 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश से अपने जोन में कार्यरत /जोन से सेवा निवृत्त हुए सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- सम्बन्धित समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- सम्बन्धित समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से उपरोक्तानुसार जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर के माध्यम से।
- 6- असिस्टेंट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट हेतु।
- 7- सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

( विनोद कुमार सिंह )

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।